न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2016 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 11.01.2016

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री मोहम्मद परवेज पिता श्री मोहम्मद रफीक मुसलमान उम्र 28 वर्ष निवासी कंघी मौहल्ला, निम्बाहेड़ा, थाना कोतवाली, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

–गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2–श्री आशिष गिरि गोस्वामी, अधिवक्ता गैरसायल

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल कंघी मौहल्ला, निम्बाहेड़ा, थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 03/2016 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री मोहम्मद परवेज निवासी कंघी मौहल्ला, थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री आशिष गिरि गोस्वामी द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन-समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में श्री प्रभातीलाल मीणा, हाल स. उ. नि. पुलिस लाईन डूंगरपुर, श्री रामसिंह, हाल उ. नि. थाना डबोक एवं श्री बलवन्त सिंह हाल उ. नि. थाना छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ के बयान कराये।

अधिवक्ता गैरसायल ने गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ्ती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध कुल 3 प्रकरण दर्ज हुए हैः-

1- प्र.सं. 203/11 धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट
2- प्र.सं. 297/12 धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट
3- प्र.सं. 426/15 धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट

गैरसायल को उक्त तीन में से 2 प्रकरणों में सजा हो चुकी है तथा 01 प्रकरण जैर ट्रायल है। उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नही देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 03/2016 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री मोहम्मद परवेज निवासी कंघी मौहल्ला, थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल के विरूद्ध द्वेषतावश गुण्डा एक्ट में कार्यवाही प्रस्तुत की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा मे न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। वर्ष 2015 के बाद गैरसायल के विरूद्ध किसी भी धारा के अपराधिक मामले दर्ज नही हुए है। गैरसायल गरीब व्यक्ति होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का बडी मेहनत से शान्तिपूर्वक भरण पोषण कर रहा है। मोहल्ले में कभी कोई शान्ति भंग नही की है, जिससे मोहल्ले में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसालय के विरूद्ध वर्ष 2011 से 2015 तक कुल 03 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमे से 02 प्रकरण में गैरसायल को सजा होना तथा 01 प्रकरण जैर ट्रायल होना बताया गया है। गैरसायल के विरूद्ध उक्त दर्ज सभी 03 प्रकरण वर्ष 2015 तक दर्ज होकर 02 प्रकरण का निस्तारण हो चुका है तथा लम्बित 01 प्रकरण के संबंध में गैरसायल को सजा होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। वर्ष 2015 के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही होना प्रतिवेदित है तथा इसके बाद गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत होना एवं उनके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना भी नही पाया गया।

अतः गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए, उसके परिवार की परिस्थितियों को मध्यनजर रख, सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975 धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चेतन देवड़ा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official